comprise a network of autonomous colleges, but have no teaching faculty in the university itself. It was further desired that the Committee may itself look into the matter again in consultation with the State/Union Territories concerned.

Marathi as Compulsory for Secondary Schools in Maharashtra

3340. SHRI G. PRATHAPA REDDY:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Marathi language has been made compulsory for secondary schools in Maharashtra;

(b) if so, whether this compulsion will also be applicable to Central Schools in Maharashtra; and

(c) if not, the reasons therefor and how will the Central School students cope with this situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (KUMARI SELJA): (a) The information is being obtained from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) and (c) The Government of India has all along recommended to the State Governments effective implementation of the Three Language Formula. The Formula at the Secondary stage provides for teaching of a modern Indian language preferably one of the Southern languages, apart from Hindi and English in the Hindi speaking States and of Hindi alongwith regional language and English in the non-Hindi speaking States. The general policy of the Central Government is that the mother-tongue should be the medium of instruction at the primary stage.

School Education is looked after primarily by the State Governments and the role of the Central Government in matters of medium of instruction as well as teaching of languages is only recommendatory. As per a uniform policy, all Central Schools are having only English and Hindi as medium of instruction, irrespective of their location in any particular State or UT.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन संघों द्वारा रैली का आयोजन

3341. श्री गोविन्दराम मिरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी संघों की संयुक्त संघर्ष समिति अपनी मांगों पर बल देने हेतु 26 अगस्त, 1994 को दिल्ली में एक बड़ी रैली आयोजित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने उक्त समिति के कुछ पदाधिकारियों को आतंकित करने की गरज से स्मरण-पत्र जारी कर कड़ी कार्यवाही करने की धमकी दी है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्मरण-पत्रों का ब्यौरा क्या है और इनका औचित्य क्या है;

(घ) उक्त समिति की मांगों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मांग के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है; और

(ङ) क्या इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए मंत्री महोदय ने अपने स्तर पर एक द्विपक्षीय वार्ता आयोजित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके परिणाम क्या रहे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि इसे 28 अगस्त, 1994 को रैली आयोजित करने के संबंध में संयोजक से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) संगठन ने अपनी बात को पुन: दोहराया है कि रैली/धरना में भाग लेना केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के प्रावधानों का उल्लंघन है, चूंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इसे अपनाया गया है।

(घ) और (ङ) स्टाफ के स्थानान्तरण, तैनाती, रिक्त पदों को भरने, चौकीदारों के लिए ड्यूटी के घन्टों में कटौती, स्टाफ की कुछ श्रेणियों की पदोन्नति, चिकित्सा सुविधाएं आदि से संबंधित मांगें हैं। आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के मध्य फरवरी, 1994 को विचार-विमर्श हुआ। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने 1 अप्रैल, 1994 को दो संसद सदस्यों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया। इसके पश्चात् 2.4.1994 को संसद सदस्यों और संघों के साथ व्यापक रूप से इस मामले पर उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्तर पर विचार-विमर्श किया गया था। जैसा कि विचार-विमर्श के दौरान सहमति हुई है, 16 मांगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन की विशिष्ट सहमति से अवगत करा दिया गया है।